डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल एम. पी. 2 डब्ल्यू-पी/505/98.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 2/पी-122/93

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अगस्त 1998—श्रावण 29, शक 1920

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 1998

क्र. 5726-एफ-3-20-तेरह-98.—इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशंस एक्ट, 1998 (1998 का सं. 14) की धारा 17 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक (रेग्युलेटरी) आयोग स्थापित करती है.

2. आयोग का मुख्यालय भोपाल होगा.

क्र. 5727-एफ-3-20-तेरह-98.—इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशंस एक्ट, 1998 (1998 का सं. 14) की धारा 22 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य आयोग को निम्नलिखित कृत्यों को प्रदत्त करती है, अर्थात् :—

(क) राज्य में विद्युत् उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की सहायता करना तथा सलाह देना;

(ख) विद्युत् के पारेषण, थोक प्रदाय, वितरण या प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना और अनुज्ञप्तियों में सम्मिलित की जाने वाली शर्तों का निर्धारण करना;

(ग) अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य में विद्युत् उद्योग में लगे हुए प्राधिकृत या अनुज्ञप्त अन्य व्यक्तियों के कार्यों को विनियमित करना और उनके कार्यों की दक्षता, मितव्ययिता तथा साम्यापूर्ण रीति में संप्रवर्तित करना;

(घ) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय तथा उपयोग, सेवा की गुणवत्ता और विद्युत् के उचित क्रय तथा उपापन प्रक्रिया के उपाय में अभिवृद्धि करने के लिए अन्यों के समन्वय से परिप्रेक्ष्य योजनाओं और स्कीमों को बनाने की अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा करना;

(ङ) सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता को सम्मिलित करते हुए राज्य में विद्युत् उद्योग के लिए मानकों को निश्चित करना;

(च) राज्य में विद्युत् उद्योग में प्रायवेट सेक्टर की प्रतियोगिताएं बढ़ाना तथा उनके भाग लेने का रास्ता बनाना और उपभोक्ताओं के साथ न्यायोचित व्यवहार (फेयरडील) को भी सुनिश्चित करना;

(छ) सुरक्षा मानकों को अधिकथित करना तथा प्रवर्तित कराना;

(ज) राज्य विद्युत् नीति बनाने में राज्य सरकार को सहायता करना तथा सलाह देना;

(झ) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, वितरण और उपयोग से संबंधित जानकारी को संग्रहित तथा अभिलिखित करना;

(ञ) राज्य में विद्युत् के लिए मांग और उसके उपयोग संबंधी आंकड़े तथा पूर्वानुमानों को संग्रहित और प्रकाशित करना और ऐसे आंकड़ों को संग्रहित तथा प्रकाशित करने की अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा करना;

(ट) राज्य में विद्युत् उद्योग से संबंधित या उससे संबद्ध आस्तियों, सम्पत्तियों तथा उन सम्पत्तियों में हित, जिसमें विद्युत् उद्योग में आमद तथा उससे निकासी को प्रशासित करने वाली शर्तें सम्मिलित हैं, को ऐसी रीति में विनियमित करना जिससे लोकहित सुरक्षित बना रहे;

(ठ) अनुज्ञप्तिधारियों और जनउपयोगी सेवाओं के मध्य विवादों और मतभेदों को न्यायनिर्णीत करना तथा मामले को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करना;

(ड) राज्य में, पर्यावरण नियामक एजेंसियों के साथ समन्वय करना और विद्युत् के क्षेत्र (सेक्टर) तथा जनोपयोगी सेवाओं के समुचित पर्यावरण विनियमन के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना; और

(ढ) राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किसी भी अन्य मामले में राज्य सरकार को सहायता करना तथा सलाह देना.

No. 5726-F. 3-20-XIII-98.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 17 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (No. 14 of 1998), the State Government, hereby, establish the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. The Head Office of the Commission shall be at Bhopal.

No. 5727-F. 3-20-XIII-98.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 22 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (No. 14 of 1998), the State Government, hereby, confers the following functions upon the State Commission, namely :—

(a) to aid and advise the State Government, in matters concerning electricity generation, transmission, distribution and supply in the State;

(b) to issue licences for transmission, bulk supply, distribution or supply of electricity and determine the condition to be included in the licences;

(c) to regulate the working of the licensees and other persons authorised or permitted to engage in the electricity industry in the State and to promote their working in an efficient, economical and equitable manner;

(d) to require licensees to formulate perspective plans and schemes in co-ordination with others for the promotion of generation, transmission, distribution, supply and utilisation of electricity, quality of service and to devise proper power purchase and procurement process;

(e) to set standards for the electricity industry in the State including standards relating to quality, continuity and reliability of service;

(f) to promote competitiveness and make avenues for participation of private sector in the electricity industry in the State, and also to ensure a fair deal to the customers;

(g) to lay down and enforce safety standards;

(h) to aid and advise the State Government in the formulation of the State Power Policy;

(i) to collect and record information concerning the generation, transmission, distribution and utilisation of electricity;

(j) to collect and publish data and forecasts on the demand for, and use of, electricity in the State and to require the licencees to collect and publish such data;

(k) to regulate the assets, properties and interest in properties concerning or related to the electricity industry in the State including the conditions governing entry into, and exit from, the electricity industry in such manner as to safeguard the public interest;

(l) to adjudicate upon the disputes and differences between the licensees and utilities and to refer the matter for arbitration;

(m) to co-ordinate with environmental regulatory agencies and to evolve policies and procedures for appropriate environmental regulation of the electricity sector and utilities in the State, and

(n) to aid an advise the State Government on any other matter referred to the Commission by the State Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.